न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीनिधि. बी.टी, आई.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या : 77/2012 RCMS No. 2012/00263

दायरा तिथि : 29.05.2012 फ़ैसला दि. 2-12-2019

वादी:–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी)

तहसीलदार, बाली

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1.सुन्दरबाई पत्नी फुटरमल मेवाडा, निवासी मुण्डारा

2.श्री विकम देवासी पुत्र ओटाराम देवासी जाति देवासी निवासी मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली (राज0)

उपस्थिति :–

1. तहसीलदार, बाली — पेरोकार सरकार
2. प्रतिवादीगण — अनुपस्थित

–:: निर्णय ::– दिनांक 2-12-2019

प्रकरण अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी तहसीलदार, बाली ने बहैसियत भूमिधारी राजस्व रेकर्ड एवं पटवारी हल्का, बेडल द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात् पाया कि ग्राम जादरी तहसील बाली में स्थित राजस्व कृषि भूमि खसरा नंबर 337/3 रकबा 1.63 हैक्टर किस्म बारानी दोयम का बिना आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराये मौके पर पत्थरो से प्लॉटो का निर्धारण कर आवासीय प्रयोजन उपयोग में लेने का प्रयास किया जा रहा हैं। अप्रार्थी खातेदारान का उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन होने से प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अपने प्रार्थना पत्र में तहसीलदार, बाली द्वारा वर्णित भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में कृषि भूमि के तौर पर दर्ज होने एवं मौके पर कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन उपयोग में लेने से वर्णित भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार, बाली के आवेदन पर दिनांक 29.05.2012 को अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रकरण संस्थापित कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण भंडारी ने वकालातनामा प्रस्तुत करते हुये जवाबदावा प्रस्तुती के लिये समय चाहा। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा लगभग 5 वर्ष की समयावधि तक जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया जाने से दिनांक 25.10.2017 को सीपीसी के प्रोविजो अनुसार जवाब अवसर बंद करते हुये प्रकरण को वादी पेरोकार सरकार की साक्ष्य के लिये रखा गया। दिनांक 19.08.2019 को वादी पेरोकार सरकार ने प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के अतिरिक्त नया कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा, जिससे न्यायालय द्वारा वादी पेरोकार सरकार की साक्ष्य का अवसर बंद करते हुये प्रकरण को प्रतिवादी पक्ष की शहादत के लिये रखा गया। प्रतिवादी पक्ष को मौखिक साक्ष्य प्रस्तुती के लिये तीन समयावसर दिये जाने के बावजूद कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया। दिनांक 11.11.2019 को वकील प्रतिवादी श्री प्रवीण भंडारी ने प्रकरण में **Not Press** किया। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में **Not Press** करने से दिनांक 11.11.2019 को पत्रावली को वादी पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस के लिये रखा गया। दिनांक 18.11.2019 को वादी पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादी पेरोकार सरकार ने बहस में वादपत्र/प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रतिवादी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन कराये मौके पर प्लॉट के निशान बनाये थे, जिससे पटवारी हल्का, बेडल की मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि का बिना आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराये कृषि भिन्न अर्थात् आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने की चेष्टा की जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत आवेदन पेश किया गया। प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का न तो न्यायालय में जवाब पेश किया गया एवं न ही किसी प्रकार का मौखिक साक्ष्य पेश किया गया है जो इस तथ्य का परिचायक है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का बिना संपरिवर्तन कराये कृषि भिन्न प्रयोग में ली जा रही है। जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के प्रावधानों अनुसार वादग्रस्त भूमि जादरी के खसरा नंबर 337/3 रकबा 1.63 हैक्टर किस्म बारानी दोयम को राजकीय सिवाय चक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से हस्तगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि वादी पेरोकार सरकार तहसीलदार, बाली के आवेदन पत्र पर प्रकरण दिनांक 29.05.2012 को प्रतिवादी के विरूद्व संस्थापित किया गया। प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना का न तो कोई जवाब पेश किया गया एवं न ही किसी प्रकार का कोई मौखिक साक्ष्य पेश किया गया। जिससे वादी पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर किसी प्रकार का संदेह नहीं है।

पेज लगातार 02

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रकरण संख्या 77/2012 RCMS No. 2012/00263

अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीदार बाली बनाम सुंदरबाई वगैरा

अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

चूकि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम जादरी के खसरा नम्बर 337/3 रकबा 1.63 हैक्टर किस्म बारानी दोयम का बिना आवासीय प्रयोजन रूपान्तरण कराये आवासीय प्रयोजनार्थ लिये जाने के कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के प्रावधानों अनुसार **177. हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली— 1. आसामी भूमिधारी के प्रार्थना पत्र पर निम्नलिखित आधार पर अपने भूमि क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा— (क) किसी ऐसे कार्य के करने अथवा न करने की त्रुटि के आधार पर जो उस भूमि क्षेत्र की भूमि के लिये हानिप्रद हो या उस प्रयोजन की असंगति में हो जिसके लिये उक्त भूमि क्षेत्र पट्टे पर दिया हो, या (ख) इस आधार पर कि उसने या उससे लेकर भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्तों का उल्लंघन किया है जिसके उल्लंघन करने पर वह किसी ऐसे अनुबंध विशेष के अनुसार बेदखल किया जा सके जो इस अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ नहीं है।** इस प्रकार धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों अनुसार किसी खातेदार काश्तकार द्वारा कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन कराये कृषि भिन्न उपयोग में लिया जाना पाये जाने पर बेदखली की कारवाई की जा सकती है। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वादी पेरोकार सरकार की बहस एवं धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों पर मनन के पश्चात प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम जादरी के खसरा नम्बर 337/3 रकबा 1.63 हैक्टर किस्म बारानी दोयम को राजकीय सिवाय चक घोषित किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का बेडल आदेशानुसार रेकर्ड में अमल दरामद के साथ कब्जा बहक सरकार लेकर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। उक्त आदेश निष्पादन के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 178(2) में वर्णित प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुये आदेश की तारीख से तीन माह के अंदर यदि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि में की गई टूट फुट की मरम्मत करवा दे तो निष्पादन कारवाई नहीं की जावे। यदि तीन माह की अवधि तक प्रतिवादीगण द्वारा टूट फूट की मरम्मत नहीं की जाती है तो धारा 177 के तहत पारित आदेश की पालना सुनिश्चित करते हुये रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें। आदेश प्रति तहसीलदार बाली को पालनार्थ भिजवाई जावें। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

Sreenidhi

(श्री श्रीनिधि बी.टी.)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 02.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sreenidhi

सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sreenidhi B T
Date: 2019.12.06 16:23:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: